मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 561 / योजना / एनआर–1 / एमजीएनआरईजीएस–एमपी / 10 भोपाल, दिनांक 22 / 1 / 2010

प्रति,

जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिण्डौरी, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मण्डला, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, विदिशा, दमोह, सीहोर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, देवास, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, राजगढ़

विषयः सूखा राहत मद से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी –म.प्र.(MGNREGS-MP) के अंतर्गत कार्यो के क्रियान्वयन विषयक।

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– म.प्र. के अंतर्गत रोजगार की मांग होने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 38 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राहत आयुक्त,म.प्र. की ओर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को धनराशि उपलब्ध करायी है।

2. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सूखा प्रभावित 38 जिलों के ऐसे ग्रामीण परिवार जिन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया है तथा वह अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की मांग कर रहें है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2009–10 में अतिरिक्त 50 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध करा दिया जाये। इस हेतु मजदूरी का भुगतान सूखा राहत मद से किया जायेगा। सूखा राहत मद की राशि के उपयोग के संबंध में निम्न कार्यवाही की जावे :–

3. **कार्यक्रम का क्रियान्वयन –**

3.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि सूखा राहत मद में कोई नवीन कार्य प्रारंभ नहीं कराया जावेगा बल्कि MGNREGS-MP के अंतर्गत प्रगतिरत सामुदायिक कार्यों में ही उक्त श्रमिकों को नियोजित किया जावेगा। राशि का उपयोग प्रगतिरत कार्यो पर किया जाना है। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई सामुदायिक कार्य प्रगतिरत नहीं है तो ही नवीन कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में हितग्राही मूलक कार्यो पर मजदूरी का व्यय सूखा राहत मद की राशि से नहीं किया जायेगा।

3.2 सूखा राहत मद की राशि का उपयोग मात्र मजदूरी भुगतान पर किया जावेगा। सामग्री पर भारित व्यय MGNREGS-MP मद से किया जावेगा।

3.3 सूखा राहत मद की राशि उन्हीं परिवारों पर व्यय की जाना है जिन्होंने MGNREGS-MP में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया है। ऐसे परिवारों के जॉबकार्ड में 100 दिवस पूर्णता पर लाल स्याही से लाइन खींच दी जावे। सूखा राहत मद के अंतर्गत सृजित कार्यदिवसों का ब्यौरा लाल लकीर के बाद इंद्राज किया जावेगा।

3.4 सूखा राहत मद के अंतर्गत किये जाने वाले मजदूरी व्यय को क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा एक पृथक मस्टर रोल पर अंकित किया जायेगा। वर्तमान में MGNREGS-MP में प्रचलित मस्टर रोल को सूखा राहत कार्यो में भी प्रयुक्त किया जायेगा। ऐसे मस्टर रोल में प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर दाहिनी ओर "सूखा राहत मद" की सील लगाई जायेगी एवं हस्ताक्षर किये जावेंगे।

3.5 100 दिवस के अतिरिक्त 50 दिवस तक की सीमा तक कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्रथमतः MGNREGS-MP मद से किया जावेगा। क्रियान्वयन एजेंसी का यह दायित्व होगा कि 50 अतिरिक्त दिवस के लिए मजदूरी भुगतान पर व्यय राशि का पृथक विवरण संधारित करें तथा प्रत्येक सप्ताह इस की जानकारी कार्यक्रम अधिकारी को दें। कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी की जानकारी का संकलन कर जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत किया जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला स्तर पर संधारित सूखा राहत मद की राशि से क्रियान्वयन एजेंसी को वांछित राशि सीधे जारी की जावेगी एवं सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जावेगी। राशि का भुगतान क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रतिपूर्ति के सिद्धांत पर किया जावेगा।

3.6 सूखा राहत मद के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का मजदूरी भुगतान MGNREGS-MP के टास्क रेट के अनुसार ही किया जायेगा।

3.7 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान MGNREGS-MP के वर्तमान नियमों के अनुसार बैंक/पोस्ट ऑफिस के खाते से किया जावेगा। नकद भुगतान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3.8 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सूखा राहत मद के अंतर्गत कराये गये कार्य, व्यय राशि, उपलब्ध रोजगार दिवस आदि का विवरण MGNREGS-MP की भांति ग्राम पंचायत/कार्यस्थल के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावेगा।

3.9 सूखा राहत अंतर्गत कराये गये कार्यों का विस्तृत ब्यौरा विभिन्न ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किया जायेगा तथा नियमानुसार सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया का पालन भी अनिवार्यतः किया जावेगा।

3.10 संबंधित उपयंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, प्रबंधक, ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत समन्वय अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उपरोक्त व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करायें।

4 राशि का प्रवाह :–

4.1 राज्य रोजगार गारंटी निधि, भोपाल के द्वारा प्रत्येक जिले को राशि जारी की जावेगी, जिसका संधारण जिला स्तर पर MGNREGS-MP के अन्तर्गत बैंक खाते में किया जाना है।

4.2 50 अतिरिक्त दिवस की मजदूरी के भुगतान पर व्यय की गई राशि को सूखा राहत मद से प्रतिपूर्ति के सिद्वान्त पर उपलब्ध कराया जायेगा। कियान्वयन एजेंसी द्वारा अतिरिक्त मजदूरी भुगतान पर व्यय की गई राशि का विवरण जनपद पंचायतों से प्राप्त होते ही वांछित राशि जिला स्तर से सीधे कियान्वयन एजेंसी के खाते में जारी की जावेगी। किसी भी परिस्थिति में सूखा राहत मद की राशि बतौर एडवांस कियान्वयन एजेंसी को जारी नहीं की जावेगी।

4.3 कियान्वयन एजेंसी के खाते में राशि प्राप्त होने पर, रोकड बही एवं खाता बही में इंद्राज करते हुये राशि को MGNREGS-MP के खाते में स्थानांतरण किया जावेगा। इस प्रकार MGNREGS-MP के खाते से सूखा राहत मद पर व्यय राशि का समायोजन सुनिश्चित होगा।

4.4 जिला स्तर पर सूखा राहत मद में उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत व्यय होते ही अतिरिक्त राशि की मांग म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद से की जावे।

5. लेखा संधारण व्यवस्था –

5.1 जिला स्तरीय कार्यवाही :–

5.1.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा परिषद् मुख्यालय से राशि प्राप्त होने पर जिले के योजनान्तर्गत बचत खाते में जमा की जायेगी।

5.1.2 उक्त राशि को जिला स्तर पर पृथक से खाता बही (लेजर) में संधारित किया जायेगा।

5.1.3. किसी भी स्थिति में जिला स्तर पर उक्त राशि को योजनान्तर्गत आवंटन में न जोड़ा जाये। अर्थात् उक्त राशि को योजना की राशि कदापि न माना जाये।

5.1.4 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जायेगा जिन्होंने 100 दिवस कार्य पूर्ण कर लिया है। ऐसे ही परिवारों को 50 दिवस तक का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अतिरिक्त रोजगार प्रदाय के फलस्वरूप किये जाने वाले भुगतान को क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध योजनान्तर्गत राशि से किया जायेगा। तत्पश्चात भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु जनपद स्तर पर (संलग्न वाउचर में) मांग पत्र भेजा जायेग। जनपद द्वारा ऐसे मांग पत्रों को समेकित कर जिले को प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित किये जायेंगे। जिले द्वारा उक्त राशि की पूतिपूर्ति क्रियान्वयन ऐजेंसी को की जायेगी।

5.1.5 जिला स्तर से उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति की स्थिति में 25 मार्च तक बनाकर परिषद् मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

5.1.6 वित्तीय वर्ष 2009–10 की समाप्ति पर इस मद की शेष रही राशि को समर्पित करते हुए शासकीय कोष में नियमानुसार जमा कराने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का रहेगा। इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना है।

5.2. **जनपद पंचायत स्तरीय कार्यवाही** :–

5.2.1 क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ऐसे जॉब कार्ड धारी परिवार जिन्होंने 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें 50 दिवस का अतिरिक्त कार्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जाकर योजनान्तर्गत राशि में से व्यय कर दिया जावेगा। प्रत्येक क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त व्यय की गई राशि का मांग पत्र जनपद स्तर पर प्राप्त तथा समेकित कर अनुशंसा सहित जिला स्तर को प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित किया जायेगा। यह कार्य अनिवार्यतः वित्तीय वर्ष समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए। 31 मार्च के बाद भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.3. **क्रियान्वयन एजेन्सी स्तरीय कार्यवाही** :–

5.3.1 क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जिन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया है तथा वह अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की मांग कर रहें है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2009–10 में अतिरिक्त 50 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध करा दिया जाये। ऐसे कार्य पर व्यय का पृथक से लेखा संधारण एवं देयक प्रमाणक रजिस्टर संधारित किया जावेगा। इसी के साथ क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जितना

व्यय उक्त अतिरिक्त कार्य पर किया गया है उसकी प्रतिपूर्ति जनपद के माध्यम से जिला स्तर से ली जावेगी।

5.3.2 मजदूरी भुगतान MGNREGS-MP के टास्क रेट के अनुसार ही किया जायेगा।

5.3.3 सूखा राहत मद से व्यय के लिए क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर पृथक से खाता बही तथा अन्य आवश्यक लेखों एवं अभिलेखों का पृथक से नियमानुसार संधारण किया जायेगा।

5.3.4 श्रमिकों को मजदूरी भुगतान MGNREGS-MP के वर्तमान नियमों के अनुसार ही बैंक/पोस्ट आफिस के खाते से किया जायेगा। नकद भुगतान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5.3.5 उक्त राशि को व्यय करते समय राज्य शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–5/2007/सात/शा.–3 दिनांक 03.11.2007 द्वारा सूखा, पेयजल संकट या अन्य समस्याओं से निपटने के संबंध में जारी किये गये स्थायी निर्देशों एवं आपदा राहत निधि के मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किये जावे।

5.3.6 उपरोक्त राशि का उपयोग सिर्फ सामुदायिक कार्यों में ही किया जाये हितग्राही मूलक कार्यों में उपरोक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावे।

5.3.7 उक्त राशि के लेखे प्रत्येक स्तर पर अंकेक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

5.3.8 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सूखा राहत मद के अंतर्गत कराये गये कार्य, व्यय राशि, उपलब्ध रोजगार दिवस आदि का विवरण MGNREGS-MP की भांति ग्राम पंचायत/कार्यस्थल के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जावेगा।

6. एमआईएस –

6.1 वर्तमान में प्रचलित MIS व्यवस्था अनुसार यथावत MIS की प्रविष्टि कार्यवार भी की जायेगी। सूखा प्रभावित जिलों में 100 दिवस से अतिरिक्त 150 दिवस तक प्रविष्टि की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था केवल ऐसे मस्टररोल के लिए होगी जो सूखा राहत मद के अंतर्गत प्रयोग किये जावेगें। यह व्यवस्था केवल माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक के लिये उपलब्ध होगी।

7. पर्यवेक्षण तथा पारदर्शिता –

7.1 कार्यस्थल पर कराये जा रहे रोजगार मूलक कार्य का पर्यवेक्षण, निरीक्षण के संबंध में MGNREGS-MP द्वारा जारी दिशा निर्देश यथास्थिति लागू होंगे।

7.2 सामाजिक अंकेक्षण, सूचना पटल पर जानकारी का प्रदर्शन, सूचना का अधिकार, ग्राम पंचायत भवन पर जानकारी का प्रस्तुतिकरण आदि पारदर्शिता संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

7.3 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की जावेगी तथा प्रत्येक माह विस्तृत विवरण परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराया जावेगा।

कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./562/योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/10 भोपाल, दिनांक 22/1/2010

प्रतिलिपि :–

1- निज सचिव, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

2- निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

3- सचिव, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय,भोपाल।

4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय,भोपाल।

5- राहत आयुक्त, म.प्र. भोपाल।

6- संभाग आयुक्त, (समस्त) ..... की ओर सूचनार्थ। कृपया पाक्षिक आधार पर उपरोक्त कार्यो की समीक्षा करने का कष्ट करें।

7- मुख्य कार्य अधिकारी, जिला (सूखा प्रभावित जिले)– रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिण्डौरी, जबलपुर, कटनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मण्डला, सागर, पन्ना, टीकमगढ़,छतरपुर, रायसेन, विदिशा, दमोह, सीहोर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, देवास, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, राजगढ़।

प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रियान्वयन एजेंसी कार्यालय का नाम
प्रपत्र व्हाउचर

1. कार्य का नाम .....

2. किस दिनांक से किस दिनांक तक मजदूरी .....

3. मस्टर रोल क्रमांक .....

4. मजदूरी में व्यय की गई राशि .....

5. सामग्री अनुपात में व्यय की गई राशि .....

6. चेक क्रमांक जिसके द्वारा मजदूरी भुगतान किया गया .....

उपरोक्त कार्य संपादन हेतु लेखा संधारण के लिए तैयार किये जाने वाले व्हाउचर की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। उपरोक्त व्हाउचर की हस्तलिखित या छायाप्रति ही अभिलेख के रूप में संधारित की जावे। किसी भी स्थिति में व्हाउचर का मुद्रण कार्य न कराया जावे।

दिनांक :

क्रियान्वयन एजेंसी
के हस्ताक्षर